(वाद सं0.-608/4/26/2020)

22.12.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, मो0 एकवाल सेवानिवृत्त चालक, जिला विकास शाखा, पटना समाहरणालय, पटना के दिनांक 31.08.2018 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय ग्रुप बीमा की राशि व बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने से संबधित है।

उक्त के संबंध में **जिलाधिकारी, पटना से** प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिलाधिकारी, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को सभी सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी अपने प्रत्युत्तर में यह स्वीकार करते है कि उन्हें बकाया मानदेय व ग्रुप बीमा की राशि सहित सभी सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए पसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>